दिनांक: 28/05/17

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
शहरी विकास मंत्रालय, मुख्यालय, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदन

महोदय/महोदया,
कृपया इस आवेदन के सम्बन्ध में सभी प्रकार का संवाद **केवल हिंदी** में करें और निम्नलिखित सूचनाएं बिन्दुवार **केवल हिंदी** में और साफ़-साफ़ शब्दों तथ्यपरक सूचनाएँ प्रदान करने का कष्ट करें. यह आवेदन केवल मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बद्ध है अधीनस्थ कार्यालयों में अलग से आवेदन लगे हैं इसलिए उन्हें हस्तांतरित न करें:

1. वर्ष 2016-17 में शहरी विकास मंत्रालय, मुख्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेजों (अनुलग्नक 1) में से कितने नियमानुसार द्विभाषी रूप में जारी किए और कितने केवल अंग्रेजी में अलग-२ संख्या बताएँ. इनमें से कितने वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं, अलग-२ संख्या बताएँ?
2. शहरी विकास मंत्रालय की मुख्य वेबसाइटें पर कुल कितने ऑनलाइन फॉर्म, शिकायत, फीडबैक फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म एवं पीडीएफ दस्तावेज अपलोड किए गए हैं? इनमें से कितने केवल अंग्रेजी में हैं, कितने केवल हिंदी में और कितने राजभाषा अधिनियम के अनुसार द्विभाषी (डिगलॉट) हैं? आईटीम के पास उपलब्ध आंकड़ों से सूचना प्रदान करें.
3. शहरी विकास मंत्रालय की मुख्य वेबसाइटों को 100% द्विभाषी (डिगलॉट) में बनाने का कार्य किसे सौंपा गया है, और कब सौंपा गया है और इसे 100% द्विभाषी (डिगलॉट) बनाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
4. शहरी विकास मंत्रालय के मुख्यालय में अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट नियमों के पालन के लिए क्या जांच बिंदु निर्धारित किए गए हैं?
5. शहरी विकास मंत्रालय मुख्यालय द्वारा आयोजित/प्रायोजित कार्यक्रमों/बैठकों/सम्मेलनों के द्विभाषी बैनर और द्विभाषी नामपट बनवाने के लिए क्या-२ जाँच बिंदु बनाए हैं? बैनर/मेज नामपट को बनवाने/छपवाने की मंजूरी कौन अधिकारी देता है?
6. शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइटें बाई डिफॉल्ट प्राथमिक आधार पर अंग्रेजी में खुलती हैं जबकि भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है, अंग्रेजी को यह प्राथमिकता किसके निर्देश पर दी जा रही है?
7. शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मियों के पहचान-पत्रों एवं विजिटिंग कार्डों में किस-किस भाषा का प्रयोग किया गया है?
8. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न सेवा प्रदाताओं को विभिन्न लाइसेंस/अनुज्ञापत्र/प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन-पत्र किस भाषा में जारी किए जाते हैं, एक-२ नमूना उपलब्ध करवाएं?
9. शहरी विकास मंत्रालय के मुख्यालय में स्वीकृत सभी राजभाषा पदों की सूची दें, कार्यरत सभी राजभाषा अधिकारियों के नाम, पदनाम और कर्तव्यों की सूची (लिस्ट ऑफ़ ड्यूटी) प्रदान करें.
10. मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) प्रदान करें, समिति की अगली बैठक कब है?
11. शहरी विकास मंत्रालय के मुख्यालय में अब तक कितने अधिकारियों/कर्मियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है?

धन्यवाद सहित,
आवेदक: श्रीमती विधि जैन

अनुलग्नक - 1

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज़

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएँगे:-

- संकल्प
- सामान्य आदेश
- नियम
- अधिसूचनाएँ
- प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन
- प्रेस विज्ञप्तियाँ
- संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात
- संविदा
- करार
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
- अनुज्ञा-पत्र (परमिट)
- निविदा सूचनाएँ
- निविदा फार्म

अनुलग्नक-2

2.8 नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, कार्यालय की मुद्राएं, पत्र शीर्ष और लोगो (प्रतीक)

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ की मोहरें और कार्यालय की मुद्राएं द्विभाषिक रूप में हिन्दी के शब्द ऊपर रखते हुए प्रयोग की जाएं ।

(2) पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि के बारे में जो मोहरें वर्तमान आदेशों के अनुसार द्विभाषी रूप में बनाई जाती हैं, वे इस प्रकार बनाई जाएं कि उनमें एक पंक्ति हिंदी की और फिर एक पंक्ति अंग्रेजी की हो या एक ही पंक्ति में हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हो । ये निदेश नई बनाई जाने वाली मोहरों पर लागू किए जाएं ।

(3) बैंकों के चैकों पर यदि द्विभाषी मोहरें लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो "क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यालयों आदि में चैकों पर मोहरें केवल हिंदी में और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में लगा दी जाएं ।

(4) जो मोहरें टिप्पणी आदि की जगह पर बनाई जाती हैं वे या तो द्विभाषी बनाई जाएं या "क" और "ख" क्षेत्र के कार्यालयों आदि में केवल हिंदी में और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में बनवा ली जाएं ।

(5) रबड़ की मोहरें तैयार करते समय सभी भाषाओं के अक्षर समान आकार के होने चाहिए ।

(6) 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि द्विभाषी रूप में बनवाएं जाएं ।

(7) 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि त्रिभाषी रूप में बनवाएं जाएं ।

[का० ज्ञा० सं० 559/68-रा० भा०, (क-1) दिनांक 17-10-1968, क्रम सं० 27]